राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 733/2017/भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 734/2017/भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 735/2017/भीलवाड़ा.

मैसर्स सुजुकी टैक्सटाईल्स लिमिटेड, गुड्डा, भीलवाड़ा. .....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–द्वितीय, भीलवाड़ा. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री राजीव चौधरी, सदस्य

उपस्थित : :

श्री वी. सी. सोगानी, अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

श्री आर. के. अजमेरा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 23/10/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा ये तीनों अपीलें अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अजमेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 12, 125 व 126/वेट/2015–16 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 07.02.2017 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत–द्वितीय, भीलवाड़ा (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के पृथक–पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 18.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलों को अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया है।

2. इन तीनों प्रकरणों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से तीनों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

3. इन प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2009–10 की द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ तिमाही के नियमित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 30.12.2009; 22.3.2010 व 9.7.2010 को पारित किये गये। उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें अपीलीय आदेश दिनांक 18.8.2011 से अस्वीकार की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध माननीय कर बोर्ड के समक्ष अपील संख्या 2407, 2408 व 2409/2011 प्रस्तुत की गयी। माननीय कर बोर्ड द्वारा उक्त अपीलों में आदेश दिनांक 02.01.2014 पारित करते हुए प्रकरण पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जाने हेतु कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये गये। माननीय कर बोर्ड के प्रतिप्रेषित आदेशों की पालना में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरणों में पुनः पृथक–पृथक आदेश दिनांक 18.01.2016 को पारित करते हुए मांग सृजित की गई, जिनके विरूद्ध व्यवहारी द्वारा पुनः अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की जाने पर, अपीलीय अधिकारी द्वारा अपीलार्थी

लगातार.....2

23/10/17

व्यवहारी की अपीलें, अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.2.2017 से अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज कर दिये जाने से व्यथित होकर अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

4. बहस के दौरान अपीलार्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी ने उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया है। अपीलीय अधिकारी द्वारा सुनवाई हेतु कोई नोटिस तामील कराये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में उनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए प्रकरण अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किये जाने में नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों की अवहेलना की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपीलें स्वीकार करते हुए प्रकरण अपीलीय अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने एवं उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः आदेश पारित किये जाने बाबत् निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश का समर्थन करते हुए अपीलार्थी की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

6. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. प्रकरण में अपीलीय अधिकारी की पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में अपीलार्थी को दिनांक 07.02.2017 को सुनवाई हेतु रजिस्टर्ड एडी नोटिस 31.01.2017 को जारी किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त नोटिस प्राप्त नहीं होने का कथन किया गया है। अपीलीय अधिकारी के पत्रावली में नोटिस की ऑफिस प्रति संलग्न है, किन्तु एडी संलग्न नहीं है। जब एडी रसीद संलग्न नहीं है तब दिनांक 31.01.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर सुनवाई हेतु दिनांक 07.02.2017 नियत किया जाना अर्थात् दिनांक 31.01.2017 से 07.02.2017 (7 दिवस) का समय नोटिस की तामील की उपधारणा हेतु पर्याप्त नहीं हैं। इस प्रकार अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। अपीलार्थी को अपीलीय अधिकारी के समक्ष सुनावई का अवसर प्रदान किया जाना न्याय संगत है। अतः प्रकरण को अपीलीय अधिकारी को गुणावगुण पर निर्णयार्थ प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की तीनों अपीलें स्वीकार की जाकर प्रकरण अपीलीय अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते हैं कि अपीलीय अधिकारी अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर प्रकरणों का प्रथम सुनवाई की तिथि से तीन माह की अवधि में निस्तारण करें तथा अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि वह दिनांक 27.12.2017 को वांछित रेकॉर्ड के साथ असालतन अथवा वकालतन अपीलीय अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों।

9. निर्णय सुनाया गया। निर्णय की प्रति समस्त पत्रावलियों पर पृथक–पृथक रखी जाये।

23/10/17

(राजीव चौधरी)
सदस्य